महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

रू.वि./सम्ब./2020/ 204-07 दिनांक 20.01.2020

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या,
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
एम.जे.पी. रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय,
बरेली।

विषय : माननीय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त के सन्दर्भ में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली के पत्रांक 10899–900/क्षे.का.ब./2019–20 दिनांक 15.01.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निर्देशित किया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संचालन में सरलीकरण करने हेतु शासन से दिशा–निर्देश प्राप्त हुए हैं। उक्त प्राप्त दिशा–निर्देशों के आधार पर ही कन्या सुमंगला योजना का अधिक से अधित प्रचार–प्रसार किया जाये ताकि पात्र छात्राऐं उक्त योजना से लाभान्वित हो सकें।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया संलग्न शासन के पत्र संख्या 2605/60–3–2019–6(सा0)/19 महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 दिनांक 30.12.2019 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोपरि।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
2. प्रभारी वेबसाइट, वेबसाइट पर पत्र अपलोड करने हेतु।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली मुरादाबाद परिक्षेत्र, बरेली।

कुलसचिव

संख्या–2605/60–3–2019–6(सा0)/19

प्रेषक,

मोनिका एस0 गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2019

विषयः–मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संचालन में सरलीकरण के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1218/निदे0म0क0/क0सु0मं0यो0/2019–20, दिनांक 09.12.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें योजना के संचालन के सरलीकरण हेतु अनुरोध किया गया है।

2– अवगत हैं कि शासनादेश संख्या–436/60–3–2019–6(सा0)/19, दिनांक 07.03.2019 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश मार्गदर्शिका सहित जारी किये गये हैं। योजना के संचालन में आ रही कतिपय कठिनाईयों के संबंध में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा पत्र दूरभाष व विभागीय बैठकों में हुई चर्चा में अवगत कराया गया। उक्त के परिप्रेक्ष्य में संचालन में आ रही कठिनाईयों के समाधान के दृष्टिगत योजना के क्रियान्वयन में सरलीकरण के लिये निम्नवत् संशोधन/निर्देश किये जाते हैः–

1. मार्गदर्शिका के पृष्ठ–4 के शीर्षक–"योजना के अन्तर्गत देय धनराशि का बैंक खाते में अन्तरण" के अन्तर्गत–

मूल प्रावधान–

- बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है।

संशोधित प्रावधान–ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की सुविधा तथा अधिकाधिक व्यक्तियों को योजना से आच्छादित करने के दृष्टिगत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ–साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के खाते भी मान्य होगें।

2. योजना की मार्गदर्शिका के पृष्ठ–4 के शीर्षक–"योजना के अन्तर्गत देय धनराशि का बैंक खाते में अन्तरण" के अन्तर्गत–

मूल प्रावधान–

- बालिका के अवयस्क होने की दशा में देय धनराशि पी0एफ0एम0एस0 (ऑनलाइन) के माध्यम से निम्न रूप से बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगीः

1. माता के खाते में देय धनराशि हस्तांतरित की जायेगी।
2. माता की मृत्यु होने की दशा में पिता के खाते में देय धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें)
3. माता–पिता दोनो की मृत्यु होने की दशा में अभिभावक के खाते में देय धनराशि हस्तांतरित की जायेगी। (मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड करें)

संशोधित प्रावधान–योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी/बालिका के पिता, माता या स्वयं बालिका के बैंक खाते में देय धनराशि हस्तांतरित की जायेगी।

3. **योजना की मार्गदर्शिका के पृष्ठ–6/7 में अंकित शीर्षक–श्रेणी–1/3/4/5/6 में पात्र बालिकाओं के आवेदन हेतु अतिरिक्त अभिलेख–के अन्तर्गत**

मूल प्रावधान–

श्रेणी–1 के अन्तर्गत

- इस श्रेणी के अन्तर्गत् नवजात बालिकाओं जिनका जन्म 01/04/2019 या उसके पश्चात् हुआ हो, को ही लाभान्वित किया जायेगा तथा आवेदन बालिका की जन्म तिथि से छः माह के भीतर किया जाना अनिवार्य होगा।

श्रेणी–3 व श्रेणी–4 के अन्तर्गत

- प्रार्थना पत्र किसी सरकारी, अनुदानित या मान्यता प्राप्त विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 31 जुलाई तक या विधालय में दाखिले की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य होगा।

श्रेणी–5 व श्रेणी–6 के अन्तर्गत

- प्रार्थना पत्र किसी मान्यता प्राप्त सरकारी, प्राइवेट या अनुदानित विद्यालय में दाखिला लेने के बाद उसी वर्ष 30 सितम्बर तक अथवा बोर्ड में पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) तक जमा करना अनिवार्य होगा।

संशोधित प्रावधान–वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु श्रेणी–1 के अन्तर्गत आवेदन की निर्धारित समय सीमा 06 माह/श्रेणी–3 व 4 में निर्धारित 45 दिन/श्रेणी–5 व 6 के अन्तर्गत 30 सितम्बर या प्रवेश/पंजीकरण की अंतिम तिथि के 45 दिन के अंदर (जो भी बाद में हो) की समय सीमा की शर्त को शिथिल किया जाता है, यद्यपि आगामी वित्तीय वर्ष 2020–21 से योजना की मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुरूप ही प्रार्थना पत्र विहित समय सीमा में जमा करना अनिवार्य होगा।

4. **योजना की मार्गदर्शिका के पृष्ठ–5 के शीर्षक "कन्या सुमंगला योजना में सभी श्रेणियों के आवेदकों के आवेदन हेतु सामान्य अभिलेख" के अन्तर्गत–**

मूल प्रावधान–

- शपथ पत्र पिता, पिता के न होने पर माता तथा माता–पिता दोनो के न होने पर अभिभावक द्वारा दिया जायेगा।

संशोधित प्रावधान–शपथ पत्र माता या पिता द्वारा तथा माता–पिता के न होने की दशा में अभिभावक द्वारा दिया जायेगा।

5. योजना की मार्गदर्शिका के पृष्ठ–2 के शीर्षक 'कन्या सुमंगला योजना की पात्रता की अर्हताएं'–के अन्तर्गत यह प्रावधानित है कि योजना की वर्तमान व्यवस्था में लाभार्थी के परिवार के उत्तर प्रदेश के निवासी होने के स्थायी निवास प्रमाण–पत्र के रूप में राशन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर पहचान पत्र/विद्युत/टेलीफोन का बिल में से किसी अभिलेख का उपयोग कर सकता है।

योजना के पारदर्शी ढंग से प्रभावी कियान्वयन हेतु यह अपेक्षित है कि योजना के अन्तर्गत आवेदन करने हेतु पहचान प्रमाण–पत्र के रूप में लाभार्थी, माता–पिता या अभिभावक के आधार कार्ड को यथासम्भव प्रथम वरीयता प्रदान की जाय एवं अधिकाधिक आवेदकों की आधार संख्या आवेदन करते समय प्राप्त कर ली जाय। साथ ही, जिन माता–पिता या अभिभावक के पास आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, उनके हेतु अन्य पहचान पत्र जैसे–मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाईसेन्स, बैंक पासबुक को वैकल्पिक रूप से पहचान प्रमाण–पत्र के रूप में उपयोग किया जाय, परन्तु ऐसे आवेदकों का आधार कार्ड बनवाने की कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करायी जाय। ऐसे आवेदकों को योजना की अगली श्रेणी का लाभ देने से पूर्व आधार कार्ड अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाय।

6. योजना की मार्गदर्शिका के पृष्ठ–3 के शीर्षक "आवेदन की प्रकिया, जांच व स्वीकृति" के अन्तर्गत अंकित अन्तिम बिन्दु में यह प्रावधान है कि सत्यापन के उपरान्त उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र क्षेत्रीय कार्मिकों की आख्या सहित जनपद स्तरीय लॉगिन आई०डी० पर अग्रसारित किया जायेगा। योजना के सरलीकरण के परिप्रेक्ष्य में निर्देशित किया जाता है कि भौतिक सत्यापन की कार्यवाही शीघ्र व पारदर्शी तरीके से पूर्ण कराने के लिए उपजिलाधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन हेतु आवेदन पत्रों को क्षेत्रीय कर्मचारियों को ऑनलाइन अग्रसारित किया जाय तथा क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन आख्या अंकित करने की व्यवस्था की जाय।

7. योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर स्वीकृत किये गये आवेदन पत्र भुगतान हेतु निदेशालय अग्रसारित किये जाते हैं। तत्पश्चात् ऐसे आवेदन पत्रों के बैंक खातों के विवरण का पुष्टीकरण पी०एफ०एम०एस० के माध्यम् से कराया जाता है, जिनमें कुछ लाभार्थियों के बैंक खाते कतिपय त्रुटियों जैसे–बैंक खाता बन्द होने आदि के कारण अस्वीकृत हो जाते हैं। ऐसे लाभार्थियों के बैंक खातों का संशोधन कर उन्हें योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है। उक्त के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि

जिला प्रोबेशन अधिकारी को ऐसे लाभार्थियों के त्रुटिपूर्ण बैंक खातों के संशोधन हेतु निदेशालय स्तर से कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाय।

3– शासनादेश संख्या–436/60–3–2019–6(सा0)/19, दिनांक 07.03.2019 तथा शासनादेश के साथ पठित मार्गदर्शिका और आवेदन पत्र का प्रारूप उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

उपरोक्तानुसार योजना के कियान्वयन के सम्बन्ध में यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीया,

17/5/19

(मोनिका एस0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या–2605 (1)/60–3–2019 तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण/बाल विकास एवं पुष्टाहार/ग्राम्य विकास/नगर विकास/बेसिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/कृषि शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/वित्त/कार्मिक एवं न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
5. समस्त जिला परिवीक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
6. वेब मास्टर, महिला कल्याण निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि कृपया उपरोक्तानुसार संशोधित योजना की मार्गदर्शिका आदि विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करें।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।